(144)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0197/2019/अशोकनगर/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला अशोक नगर के प्रकरण कमांक 44/स्वमेव निगरानी/2014—15.

.....

1—हरीबाबू पुत्र राजकुमार गोरव पुत्र बंसत
2—मांगीलाल पुत्र फुल्ला अहिरवार
3—हरीबावू पुत्र राजकुमार राय
4—गायत्री मंदिर संरक्षक हरिबावू राय
5—निरूपाराय पुत्री मिश्रीलाल राय
6—सोहार्द आ0 हेमन्त कुमार एवं कान्ताबाई पत्नि बसंत राय
थनवासीगण पिपरई जिला अशोकनगर म0 प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला अशोकनगर म0 प्र0

———अनावेदक

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शिराज कुरैशी अभिभाषक, शासन अनावेदक

.....

आदेश
(आज दिनांक 22-2-19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम स्थित भूमि पिपरई के आवेदक कमांक 1 को सर्वे कमांक 699/1 मिन का रकवा 30X30 वर्ग फुट आवेदक कमांक 2 को सर्वे कमांक 890/2/1 मिन का रकवा 13X40 वर्ग फुट एवं आवेदक कमांक 3 को सर्वे कमांक 1359/4/4 मिन का रकवा 30X40 वर्ग फुट का आवेदक कमांक 4 को सव्रे कमांक 1359 मिन का रकवा 0.418 है0 आवेदक कमांक 5 को सर्वे कमांक 1359 मिन का रकवा 60X60 वर्ग फुट का व आवेदक कमांक 6 को सर्वे कमांक 666/1 मिन रकवा 150X150 वर्गफुट का आवेदकगणों को 'शासन के आदेशानुसार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुंगावली के द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–66/2002/03 आदेश दिनांक 18.08.2002 द्वारा आवेदकगण को आवासीय हेतु पटटे दिये गये थे। कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा आदेश दिनांक 30.1.18 से उक्त समस्त आवासीय पटटे स्वयमेव निगरानी में लेकर निरस्त किये गये हैं जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नियम प्रकिया विधि विधान एवं राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदकगण उक्त पटटे वाली भूमि पर लगभग 16 वर्ष से मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहे है जिस कारण शासन के आदेश एवं निर्देशानुसार आवेदकगण को उक्त आवासीय पटटे दिये गये थे जिसमें किसी को भी कोई आपत्ति भी नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के सिद्वांतों को अनदेखा करते हुये पटटे निरस्त करने का आदेश किया है जो अवैध होने से निरस्ती योग्य हैं अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदकगण को सन् 2002 में पटटे दिये थे, और सन् 2018 में प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा 16 वर्ष पश्चात निरस्त करने में त्रुटि की है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि तहसीलदार मुंगावली द्वारा इस्तहार जारी कर आपत्तियां बुलाई गई थी लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं आने पर ही पटटे प्रदाय किये थे जिस पर कच्चे मकान एवं पत्थर की पाटोर बनाकर परिवार सहित जीवन यापन कर रहे हैं । अंत में

उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 44/स्वमेव निगरानी/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 को निरस्त कर तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण कमांक 01/अ–66/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 18.8. 2002 यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि तहसीलदार मुंगावली द्वारा पटटे वितरत करने में अनियमितता की गई है इसलिये प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 18.08.2002 निरस्त किया गया है। अंत में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदकगण के अधिवक्ता को धारा–5 के आवेदन पर सुना गया। धारा–5 का आवेदन सदभाविक होने से स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि नायव तहसीललदार मुंगावली द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–66/2002–03 द्वारा आवेदकगण को पटंटे प्रारूप "ग" (नियम–8 देखिये) का प्रमाण पत्र प्रदाय किया है जिसमें सर्वेक्षण अंक पटटे का रकवा एवं निर्धारित शुल्क भी दर्शाया गया है, जिसका आवेदकगण द्वारा भुगतान भी किया गया है। कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा आवेदकगण को नोथ्टस भेजा गया जिसका जबाव भी आवेदकगण द्वारा दिया गया हैं कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में 16 वर्ष वाद लिया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। 16 वर्ष पश्चात आवंटिती का पटटा निरस्त नहीं किया जा सकता :–

देवी प्रसाद विरूद्व नाके 1975 जे0 एल0 जे0 1975–1975 राजस्व निर्णय 67 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि पांच वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व एवं अधिकार अर्जित हो गये । परिसीमा की

अवधि उपरांत पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर आवंटन का आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता।

6–आवेदकगण के विरूद्व कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा 16 वर्ष के वाद स्वमेव निगरानी में प्रकरण पंजीबद्व किया है :–

1–गुजरात राज्य विरूद्व पी0 राधव ए आई आर 1969 माननीय सुप्रिम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि स्वप्रेरण शक्तियां –युक्तियुक्त समय की भीतर प्रयुक्त की जा सकती हैं , स्वप्रेरणा से पुंनरीक्षण शकित्यों का प्रयोग अधिक से अधिक 6 माह के भीतर किया जा सकता है।

2–मोहम्मद कावी विरूद्व फातमा वाई इब्राहिम 1998 (1) एम0 पी0 डब्लयू0 एन0 26 सुप्रिम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉ राजस्व प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जा सकती है। किसी प्रकरण में एक वर्ष का समय भी अयुक्ति युक्त हो सकता है।

3– श्रीमती कमला सिंह विरूद्व श्रीमती अलका सिंह 2011 आर0 एन0 273–2011 एम0 पी0 जे0 आर 84 का न्याय दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां कुछ मास के भीतर ही प्रयुक्त की जा सकती है।

4–माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर की पूर्णपीठ ने सभी न्याय निर्णयों की विवेचना कर रणवीर सिंह विरूद्व म0 प्र0 राज्य 2010 राजस्व निर्णय 409 में स्वयंमेव पुनरीक्षण की समय सीमा निर्धारित की है।

7–प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा 16 वर्ष पश्चात प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदकगण के पटटे निरसत करने में विधि की गंभीर भूल की गई है जिससे कलेक्टर जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 30.01.2018 त्रुटिपूर्ण आदेश है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय कलेक्टर जिलाअशोकनगर के प्रकरण कमांक 44/स्वमेव निगरानी/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 1/अ–66/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2002 यथावत रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर